Ks.191.81 lakhs, Rs. 199.50 lakhs and Rs. 182.69 lakhs respectively.

Procedure for Open Bids in Telecom Sector

*26. SHRI ANANTRAY DEVA-SHANKER DAVE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether MoU or open bids are preferred for private sector telecommuni cation projects;

(b) the procedure to be followed by the companies for open bids; and

(c)since several proposals are pending for clearance, in what manner Government would deal with open bid proposals to avoid the criticism of discrimination?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) In order to have fair competition, competitive bids are invited from Indian Companies through open tenders by the DoT for procurement of Telecom. Equipment, Basic Telephone Services, Cellular Mobile Telephone Service and Radio Paging Services. For all other Value Added Services proposals are invited from Indian Companies meeting minimum eligibility criteria and licences are awarded to them on a non-exclusive basis.

However, in order to access new technologies, new systems, etc. MoU system has been adopted in certain cases.

(b) The procedure for participation by the Companies in the open bids is different in various bids and the same is indicated in the tender documents.

(c) The bids received against the tenders issued by the Department are evaluated by Expert Committees having representatives from Technical, Finance and Commercial Wings of the Department and there is no scope for any discrimination.

विदेशी अंशदान प्राप्त करने संबंधी उपबंधों का उल्लंघन करने वाले संगठन

*27**श्री रामदेव भंडारी** : क्या गृह मंत्री 29 नवम्बर, 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 47 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "कपार्ट " द्वारा काली सूची में दर्ज संस्थाओं का ब्यौरा सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध एफ.सी.आए.ए के अंतर्गत उनका पंजीकरण रद्द की कार्यवाही की जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुत्रति परिषद (कपार्ट) के उन संगठनों के बारे में सूचना प्रस्तुत की हैं जिन्हें इस परिषद ने काली सूची में डाल दिया हैं। इसमें से, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 47 संगठनों की पहचान कर ली गयी हैं और इन संगठनों के लेखों इत्यादि की जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Allegation on MNCs for Destabilising State Governments

*28. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have seen the statements of Chief Ministers of Rajasthan and Maharashtra as reported in the 'Hindustan Times' of 5th November, 1995 and the 'Hindu' of 10th December, 1995 that some MNCs are trying to destabilise these State Governments;

(b) whether Government have received such reports from some other States also; and

(c) whether Government propose to take corrective action in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a)

Government have seen the Press Report that appeared in the 'Hindustan Times' dated 5th November, 1995 titled "MNCs destabilising State Governments". The 'Hindu' dated 10th December, 1995, however, does not appear to carry any such statement attributed to the Chief Minister of Maharashtra.

(b) The Government have not received any such report from the state governments, including Rajasthan and Maharashtra.

(c) Does not arise.

हिन्दी में काम करने वाले सरकारी कर्मचरियों को नकद प्रोत्साहन

*29. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई नकद प्रोत्साहन दिया जाता हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रोत्साहन की ऐसी नकद राशि दिए जाने संबंधी नियम क्या हैं और नकद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती हैं ;

(ग) क्यास सरकार उक्त राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं';

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री एस . बी. चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) निर्धारित मानकों के अनुसार हिन्दी में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि देय है। प्रोत्साहनों का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा हैं।

(ग) और (घ) प्रोत्साहन राशियों में समय – समय पर वृद्धि की जाती हैं।

विवरण

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के फलस्वरूप देय नकद प्रोत्साहनों का संक्षिप्त ब्यौरा । ये प्रौत्साहन तत्संबधी सरकारी हिदायतों द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

1.अग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता देना ।

केन्द्रीय सरकार के अग्रेजी आशुलिपिकों /टाइपिस्टों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त, 1983 को लागू की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत एक निर्धारित मात्रा (हिन्दी में औसतन पांच टिप्पणियां/ प्रारूण /पत्र प्रति दिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियां /प्रारूप/ पत्र प्रति तिमाही टाइप करना) में सरकारी कार्य हिन्दी में भी करने वाले अंग्रेजी आशुलिपिकों / टाइपिस्टों को क्रमशः 30/- रूपए व 20/- रूपए प्रतिमाह विशेष प्रोत्साहन भत्ता स्वीकार किया जा सकता था ।

2. दिनांक 16.8.1987 से इस राशि को दुगुना- आशुलिपिकों / टाइपिस्टों के लिए क्रमशः 60/ - रूपए व 40 /- रूपए कर दिया गया है।

3. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन (खंड-2) में यह सिफारिश की गयी हैं कि इस प्रोत्साहन भत्ते की राशि को बढ़ाने के लिए वित्त प्रभाग को भेजा जाए। इस राशि को आशुलिपिकों / टाइपिस्टों के लिए क्रमशः 200/ - रूपए व 100 रूपए करने का प्रस्ताव व्यय विभाग को विभाग द्वारा भेजा गया । सचिव. व्यय विभाग ने अपने दिनांक 16.3.1995 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि चूंकि इस प्रोत्साहन भत्ते की राशि में वृद्धि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें के आधार पर की गयी थी इसलिए इन दरों में वृद्धि संबंधी मामला पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रखा जाए। विभाग द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 29.5.1995 को जो सरकारी ज्ञापन भेजा है, उसमें इस प्रोत्साहन भत्ते की राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया हैं।

2. सरकारी कामकाज (टिप्पण- आलेखन) मूल रूप में हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन / पुरस्कार योजना ।

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सन् 1974 में यह योजना शुरू की गयी ।

इस योजना में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। दिनांक 16.2.1988 से इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से पुरस्कार देय हैं: